भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2089

08 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

पुनर्चक्रित इस्पात का उपयोग

2089. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुनर्चक्रित स्क्रैप से प्राप्त इस्पात के सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं में उपयोग की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे देश में इस्पात की कीमत नियंत्रित बनाए रखने में सहायता होगी; और

(ग) क्या लौह-अयस्क से निर्मित इस्पात की तुलना में पुनर्चक्रित स्क्रैप से निर्मित इस्पात की लागत लाभकारी रहती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी हाँ। इस्पात मंत्रालय के अनुरोध के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 12.02.2021 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-34066/09/2017-एसएवंआर(बी) के तहत प्रासंगिक भारतीय मानकों आईएस 432 एवं आईएस 1786 को पूरा करने के अध्यधीन, अयस्क/बिलेट/पैलेट/विगलन अथवा स्क्रैप से उत्पादित इस्पात को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते, घरेलू इस्पात का मूल्य विभिन्न कारकों जैसे कि क्षमता उपयोग, माँग एवं आपूर्ति, कच्चे माल, ऊर्जा, श्रम आदि सहित विभिन्न इनपुट की कीमतों के रुझान और वैश्विक परिस्थितियों के द्वारा भी निर्धारित होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस्पात के स्क्रैप, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस/इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस में इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, पर आयात शुल्क को केन्द्रीय बजट 2021-22 में 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे स्क्रैप से बने इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर करने में सहायता मिल रही है।

****